उत्तराखण्ड वन विकास निगम

कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, रामनगर (नैनीताल)

खैर प्रकाष्ठ के विक्रय हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम में खैर प्रकाष्ठ कय करने वाले पंजीकृत/अपंजीकृत केताओं को सूचित किया जाता है कि विकय प्रभाग रामनगर के अन्तर्गत कालाढूंगी प्रथम,द्वितीय,तृतीय,आमडण्डा प्रथम,चॉदनी, डिपो में उत्पादन वर्ष 2018–19 का भण्डारित 302.0148 घ0मी0 खैर प्रकाष्ठ के विकय हेतु दिनांक 16– 01–2021 के अपरान्ह 2.00 बजे तक पंजीकृत/कोरियर डाक से ''कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम आमडण्डा रामनगर जनपद नैनीताल'' के पते पर निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे से उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी की ओर से नामित प्रतिनिधि द्वारा आमडण्डा प्रथम डिपो सिथ्त नीलामगृह में खोली जायेगी।

इच्छुक निविदादाता,निविदा की शर्ते,विकय सूची व फार्म किसी भी कार्यदिवस में कार्यलय प्रभागीय विकय प्रबन्धक अमडण्डा रामनगर तथा डिपो अधिकारी कालाढूंगी प्रथम डिपो से निशुल्क प्राप्त कर सकते है। विकय हेतु रखी जाने वाली क्षेणीवार, गोलाईवार मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है।

कु0सं0	उत्पादन वर्ष	श्रेणी	लम्बाई	गोलाई	अनुमानित मात्रा घ0मी0
01	2018–19	हरा साफ	095–1.55	31–60	15.2160
02	2018–19	हरा साफ	1.85–2.45	31–60	281.3757
03	2018–19	सूखा साफ	0.95–1.55	31–60	1.1464
04	2018–19	सूखा साफ	1.85–2.45	31–60	1.9117
05	2018–19	गौजी	1.85–2.45	61–90	2.1333
06	2018–19	गौजी	1.85–2.45	121–150	0.2317
				योग–	**302.0148**

विकय सूची वैवसाइट website:uafdc.in पर भी देखी जा सकती है दूरभाष नम्बर 05947–251233 ,मो0नं0 9568003217।

(एस0आर0सुरीन)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
रामनगर।

निविदा में क्रय की जाने वाली लौट/लौटों हेतु शर्ते

01– निविदा में विकय हेतु खैर प्रकाष्ठ की विक्रय सूची संलग्न है जिसमें यथा संभव सही दिया गया है तथा ''जैसा है जहां है'' की स्थिति में विकय किया जायेगा। निविदा फार्म रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे। हाथोहाथ निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदायें स्वतःनिरस्त मानी जायेगी। निविदा निर्धारित फार्म में ही स्वीकृत की जायेगी।

02– निविदा के साथ धरोहर धनराशि (अरनैस्ट मनी) के रूप में प्रस्तावित मूल्य का (प्रकाष्ठ हेतु) 10%+18% G.S.T) बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय विकय प्रबन्धक,उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नाम रामनगर शाखा पर देय अधिसूचना बैंक का संलग्न किया जाना अनिवार्य है। सफल निविदाद़ाता को डिपो अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषित किये जाने की तिथि से सात दिन के अन्दर प्रस्तावित विकय मूल्य का गोल प्रकाष्ठ हेतु 10%+18% G.S.T) जमानत धनराशि प्रभागीय विकय प्रबनधक,उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर के नाम देय शाखा रामनगर के पदनाम से सम्बन्धित डिपो में जमा करना अनिवार्य होगा। सफलतम केता द्वारा पूर्ण जमानत धनराशि जमा नहीं किये जाने की दशा में सम्बन्धित केता को कालीसूची में दर्ज कर दिया जायेगा। डिपो में केता के खाते में यदि धनराशि अवशेष हो तो उसका समायोजन इस निविदा की धरोहर धनराशि (अरनैस्ट मनी) 10%+18% G.S.T) के विरूद्ध कदापि नहीं किया जायेगा।

03– यद्यपि लौटों की नपत विकय सूची में यथासम्भव सही अंकित की जाती है,तथापि केता को चाहिए कि निविदा देने से पहले लौटों को भली–भांति देख लें। यदि कोई केता विकय सूची में दर्ज नाप में संदेह करता है और दोबारा नाप करवाना चाहता है तो वह (केता) प्रभागीय विकय प्रबन्धक को लिखित आवेदन–पत्र देगा और साथ ही लौट के मूल्य का एक प्रतिशत अथवा रू0 100.00 जो भी अधिक हो, जमा करना होगा।
यदि नपत के उपरान्त अन्तर दो प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो लौट की बिकि निरस्त कर दी जायेगी। उपरोक्त अन्तर दो प्रतिशत या उससे कम पाया जाता है तो बिकि वैध मानी जायेगी जमानत वापस नहीं की जायेगी।

04– लौट की बिकी हो जाने के बाद लकड़ी के ग्रेड (गुण श्रेणी) के विषय में केता की कोई शिकायत नहीं सुनी जायेगी। केता श्रेणी देखकर ही निविदा दें।

05– प्रत्येक डिपो हेतु निविदायें अलग– अलग लिफाफे में निर्धारित फार्म में देने होगी । जो फार्म इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये हों सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।

06– प्रत्येक डिपो की निविदा हेतु प्रकाष्ठ पर **10%+18% G.S.T** सहित धनराशि व जड़ो हेतु **10%+5% G.S.T** सहित धनराशि तथा जलौनी हेतु **10%** धनराशि का बैंक ड्राफ्ट भी अलग– अलग संलग्न करना होगा । दो डिपोओं के लिए एक नेक जमानत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट किसी भी दशा में स्वींकार नहीं होगा ।

07– निविदा प्राप्त होना:–

(क) निविदायें रजिस्टर्ड / कोरियर डाक द्वारा ही प्राप्त की जायेगी ।

(ख) निविदा का खोला जाना :– दिनांक 16–01–2021 को अपराह्न 2.00 बजे तक प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम आमडण्डा –रामनगर में प्राप्त निविदायें जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा गठित समिति द्वारा आमडण्डा प्रथम डिपो के नीलाम गृह में खोजी जायेगी । इच्छुक निविदादाता निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते है ।

08– निविदा के प्रत्येक लौट का प्रस्तावित निविदा मूल्य स्पष्ट रूप से अंको व शब्दो में अंकित होना चाहिए एक साथ कई लौटो का विक्रय मूल्य अंकित करने पर लौट स्वतः निरस्त मानी जायेगी । निविदा पत्र में संसोधन व अपलेखन मान्य नहीं होगा ।

09– अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वे किसी निविदा को बिना कारण बताये स्वींकार अथवा अस्वींकार कर सकता है।

10– सफलतम निविदादाता को निविदा में प्रस्तावित लौट एंव मूल्य की स्वीकृति कोरियर/पंजीकृत के माध्यम से प्रेषित की जायेगी तथा केता को स्वीकृति प्रेषण से 24 दिन (प्रेषण का दिन छोड़कर) की अवधि में लौट की अवशेष राशि,का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा तथा जी0एस0टी0, आयकर एंव मण्डी शुल्क आदि का भुगतान संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।

11– नकद छूट के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रचलित विक्रय नियमों के तहत कार्यवाही होगी।

12– निविदा में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के निलाम की सामान्य शर्त संख्या 2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 लागू होगे।

13– प्रकाष्ठ को निकासी करने की अधिकतम अवधि निविदा स्वीकृति जारी किये जाने की तिथि से (प्रेषण की तिथि छोड़कर) 45 दिन होगी। यदि केता उक्त 45 दिन की अवधि तक प्रकाष्ठ की निकासी नहीं करता हैं तो अगले 15 दिन के लिए रू0 0.25 प्रतिशत अवशेष प्रकाष्ठ के मूल्य का प्लाट रेंट देने के पश्चात केता को निकासी दी जा सकेगी। 15 दिनों के पश्चात भी यदि केता द्वारा निकासी नहीं ली जाती है तो अगले 7 दिनों के लिए संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक तथा उसके अगले 15 दिनों के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक माल की निकासी की अनुमति प्रदान कर सकते हैं और इन अतिरिक्त दिवसों हेतु प्लाट रेंट शुल्क लौट के शेष माल का 0.50 प्रतिशत होगा। यदि केता द्वारा इस निस्तारित अवधि में भी प्रकाष्ठ की निकासी नहीं ली जाती हैं तोः–

(अ)– केता द्वारा उस लौट के लिए जमा की गयी समस्त धनराशि वन निगम के पक्ष में स्वतः जब्त मानी जायेगी।

(ब)– डिपो में रखे हुए लौट के लिए समस्त वन उपज पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसे निगम केता को बिना सूचना दिये चाहे नीलाम द्वारा या अन्य माध्यम से निस्तारण करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा इसके लिए केता को किसी भी प्रकार के मुआवजे आदि का हकदार नहीं होगा।

14– प्रकाष्ठ की निकासी वन विभाग के अभिवहन नियमों के अधीन ही दी जायेगी।

15– उपरोक्त देयकों की अन्तिम तिथि को राजकीय अवकाश होने की दशा में मूल्य भुगतान एंव निकासी की अवधि तदनुसार बढ़ जायेगी।

16– भुगतान के संबंध में उत्तराखण्ड वर विकस निगम की छपी हुई डिपो अधिकरी/डिपो लेखाकार की हस्ताक्षरित रसीद ही मान्य होगी।

17– केता को स्वंय अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही प्रकाष्ठ की निकासी दी जायेगी।

18– सफलतम केता एंव अधोहस्ताक्षरी अथवा संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के मध्य किसी विवाद के होने की दशा में क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0), उत्तराखण्ड वर विकास निगम, रामनगर आर्बीट्रेटर होंगे। विवाद होने की दशा में प्रभावित पक्ष 10 दिन की अवधि का नोटिस दूसरे पक्ष को देते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0), उत्तराखण्ड वर विकास निगम, रामनगर को पंच निर्णय हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम,रामनगर का आर्बीट्रेटर के रूप में निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(एस0आर0सुरीन)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
रामनगर।

पंत्राक:–वि0 3877 /खैर निविदा सूचना/ दिनांक– 05/01/2021

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
02–अपर प्रबन्ध निदेशक (कु0मं0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
03–क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0), उ0 वन विकास निगम, रामनगर
04– डिपो अधिकारी, कालाढूँगी प्रथम ,द्वितीय,तृतीय,आमडण्डा प्रथम,चॉदनी।
05–क्रेता संघ, रामनगर, जसपुर, कालाढुंगी।
06–नोटिस बोर्ड कार्यालय/डिपो।

(एस0आर0सुरीन)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
रामनगर।

कार्यालय–प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,उत्तराखण्ड वन विकास निगम,रामनगर।
दूरभाष / फैक्स नं0–05947-251233, ई–मेलः dmm.ram_nagar@yahoo.com

खैर प्रकाष्ठ क्रय करने हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म संख्या ....
डिपो का नाम............................

01–निविदा द्वारा क्रय हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरणः–

क्र0सं0	लौट संख्या	प्रकाष्ठ की मात्रा(घमी0)	विक्रय मूल्य		नेक जमानत निविदा मूल्य का 10%+G.S.T.
			अंको में	शब्दों में	